 1634 (भ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 16/2/26

विषय– कारा विभाग की कार्यों को कार्यान्वित किए जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2025–26** में कुल **₹27,18,113/-** (सत्ताईस लाख अठारह हजार एक सौ तेरह रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–01, पटना द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचनाओं पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कारा विभाग की कार्यों को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹27,18,113/-** (सत्ताईस लाख अठारह हजार एक सौ तेरह रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2025–26** में प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–01, पटना	29598	Renovation of Room No.-178 back verandah of Kara Department Ground floor, South wing Ground Floor Old Secretariate, Patna for the Year 2024-25	**5260/ 17.07.25**	`14,71,313/- (चौदह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ तेरह रुपये)
2.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–01, पटना	29592	Renovation of Gopnia koshang in Kara Department Ground floor, South wing Ground Floor Old Secretariate, Patna for the Year 2024-25	**5260/ 17.07.25**	12,46,800/- (बारह लाख छियालीस हजार आठ सौ रुपये)
			योग:–		**27,18,113/-**

(सत्ताईस लाख अठारह हजार एक सौ तेरह रुपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य–उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघुशीर्ष–053–रख–रखाव तथा मरम्मत–उपशीर्ष–0103–गृह(कारा) विभाग के मुख्यालय का सद्ढीकरण एवं जीर्णोद्धार विपत्र कोड– 03–2059010530103 के विषयशीर्ष–27–लघुकार्य–0103.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत अंतर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष–2025–26 में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या–01, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6 स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।